

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265673
SG-DL-E-25082025-265673असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191
No. 249]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947	[N. C. T. D. No. 191

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

फा.सं. 6/27/2025—न्यायिक/अधी.विधि/1512—1518—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त/पदोन्नत करते हैं:—

(1) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7(1) (क) के अंतर्गत दिल्ली न्यायिक सेवा से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रिक्तियों के निमित्त नियमित आधार पर तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में उन्हें परिवीक्षा पर रखने के लिए पदोन्नत/नियुक्त :-

1	सुश्री साधिका जालान	6	श्री प्रयांक नायक
2	सुश्री दीप्ति देवेश	7	सुश्री रजत गोयल
3	सुश्री प्रीति अग्रवाल	8	सुश्री सोनम सिंह-I

4	सुश्री नेहा गुप्ता सिंह	9	सुश्री सोनम गुप्ता
5	सुश्री तन्वी खुराना		

(2) दिल्ली न्यायिक सेवा के निम्नलिखित 08 अधिकारियों को 16 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु दिनांक 26.09.2020 के पत्र के माध्यम से अस्थायी/संविदा आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में परिणामी रिक्तियों के निमित्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तदर्थ आधार पर नियुक्त/पदोन्नत।

1	श्री हिमांशु रमन सिंह	5	सुश्री रुबी नीरज कुमार
2	श्री दीपक कुमार- I	6	श्री दीपक कुमार- II
3	श्री वैभव मेहता	7	सुश्री वसुन्धरा छौंकर
4	सुश्री स्वाति शर्मा	8	श्री अभिषेक कुमार

तदर्थ आधार पर पदोन्नति से उक्त अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के कैडर में आमेलन या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और ऐसे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के बंद होने की स्थिति में, ऐसे अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा के अपने मूल कैडर में वापस लौट जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रितेश सिंह, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 22th August, 2025

F. No. 6/27/2025-Judl./Suptlaw/1512-1518.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to:-

- Promote/appoint the following officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service under Rule 7(1) (a) of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 on regular basis against regular vacancies with effect from the date they assume charge of the office and to place them on probation in the Delhi Higher Judicial Service as per the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 :-

1	Ms. Sadhika Jalan	6	Mr. Prayank Nayak
2	Ms. Deepti Devesh	7	Ms. Rajat Goyal
3	Ms. Preeti Agarwala	8	Ms. Sonam Singh-1
4	Ms. Neha Gupta Singh	9	Ms. Sonam Gupta
5	Ms. Tanvi Khurana		

- Appoint/Promote on *ad hoc* basis of the following 08 officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service against resultant consequential vacancies in Fast Track

Special Courts sanctioned by the Govt. of NCT of Delhi on temporary/contractual basis vide letter dated 26.09.2020 for setting up of 16 Fast Track Special Courts, from the date they assume charge of the office.

1	Mr. Himanshu Raman Singh	5	Ms. Ruby Neeraj Kumar
2	Mr. Deepak Kumar-1	6	Mr. Deepak Kumar-II
3	Mr. Vaibhav Mehta	7	Ms. Vasundhra Chhaunkar
4	Ms. Swati Sharma	8	Mr. Abhishek Kumar

The promotion on ad hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on the aforesaid officers in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast Track Special Courts, such officers shall revert back to their substantive Cadre of Delhi Judicial Service.”

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)